mail

1/2755537/202

-78

प्रेषक,

निदेशक
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी,उत्तराखण्ड।
2. अधीक्षक, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी हरिद्वार।
3. वैज्ञानिक अधिकारी, डी0टी0एल0 हरिद्वार।

संख्याः– 811–13 / जी–78 / 2026–27 दिनांक 29 अप्रैल, 2026

विषयः– **स्थानान्तरण हेतु ऑनलाईन माध्यम से विकल्प पत्र भरे जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑफलाईन माध्यम से स्थानान्तरण हेतु कतिपय विकल्प पत्र निदेशालय में समय से नहीं पहुंच पाते है अथवा ऑफलाईन माध्यम से लाने ले जाने में मार्ग में छूट / विलंबित होने का अंदेशा रहता है, जिसके फलस्वरूप संबंधित कार्मिकों के हित प्रभावित हो सकते हैं। उक्त स्थिति के कारण विवाद एवं न्यायालीन वाद की संभावना भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली में अनावश्यक दबाव व जटिलताएं उत्पन्न होती हैं।

उक्त जटिलताओं को देखते हुए विभागीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत कार्मिकों के विकल्प पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही लिये जायेंगे, ऑफलाईन माध्यम से निदेशालय को भेजे गये विकल्प पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इस क्रम में लिंक के माध्यम से संबंधित कार्मिकों को दिनांक 15 मई, 2026 तक अपना स्थानांतरण विकल्प अनिवार्य रूप से ऑनलाईन भरा जाना होगा, तत्पश्चात कोई भी विकल्प पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

उक्त के क्रम में विकल्प भरे जाते समय समस्त सूचनाएं सावधानीपूर्वक एवं सत्यापित रूप में अंकित की जाएं। दिनांक 15 मई, 2026 के उपरान्त ऑनलाईन माध्यम से विकल्प पत्र भरे जाने का लिंक स्वतः ही बन्द हो जायेगा।

लिंक– https://ayurved.uk.gov.in/transfer

Digitally signed by
Krishna Singh Napalchyal
Date: 29-04-2026
16:28:14

भवदीय

(डा0 के0एस0 नपलच्याल)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. गार्ड फाईल।

(डा0 के0एस0 नपलच्याल)
संयुक्त निदेशक